भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *494

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजाब में नशीली दवा प्रीगैबलिन का दुरुपयोग

†*494. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार फार्मा दवा प्रीगैबलिन के बढ़ते दुरुपयोग और इसकी तस्करी से अवगत है जिसका पंजाब के युवाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उक्त दवा की खुराक के अधिक सेवन द्वारा इसके बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से विशेषकर पंजाब सहित देश में इसकी लत की गंभीर समस्या पैदा हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पंजाब पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हाल में बड़ी मात्रा में प्रीगैबलिन जब्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं के जरिये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से नशीली दवाओं की अवैध तस्करी की जा रही है जिससे नशीली दवा आपूर्ति की एक संगठित श्रृंखला का संकेत मिलता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस दवा के दुरुपयोग को रोकने हेतु सभी राज्यों में उक्त दवा के नुस्खे, बिक्री को विनियमित करने के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति शुरू किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या प्रीगैबलिन की खुराक और इसकी लत के मामलों पर सख्त नियंत्रण लगाने और इसकी तस्करी की निगरानी हेतु एक अंतर-राज्यीय कृतिक बल की स्थापना, जिनकी उपेक्षा की गई है, करने से युवाओं में लत के बढ़ते खतरे को दूर किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च): विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

दिनांक 4 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *494 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (ड्रग्स विंग, पंजाब) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पंजाब सरकार को फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रीगैबलिन के बढ़ते दुरुपयोग और अवैध व्यापार की जानकारी है।

दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 की अवधि के दौरान, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (ड्रग्स विंग), पंजाब सरकार ने 72 परिसरों/फर्मों से ₹5,97,09,785/- धनराशि के प्रीगैबलिन युक्त ड्रग्स फॉर्मूलेशन जब्त किए। इसके अतिरिक्त, 12 फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए गए, 46 फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए गए और माननीय न्यायालयों में 11 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

पंजाब सरकार के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (ड्रग्स विंग) ने दिनांक 28.02.2025 के पत्र द्वारा राज्य के दवा विनिर्माताओं, क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंटों (सी एण्ड एफए), थोक केमिस्टों और खुदरा बिक्री वाले केमिस्टों को निर्देश जारी किए कि वे प्रीगैबलिन और अन्य 06 प्रकार की दवाओं की निर्धारित सीमा से अधिक बिक्री/खरीद के बारे में संबंधित क्षेत्र के औषधि नियंत्रण अधिकारियों को अनिवार्य रूप से एक ही चालान में जानकारी/रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

औषधियों की बिक्री और वितरण का विनियामक नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) द्वारा लाइसेंसिंग और निरीक्षण की प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। एसएलए को ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 के विनियामक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने का अधिकार है।

केवल पर्चे पर ही बेची जा सकने वाली औषधियों की बिना पर्चे के बिक्री के संबंध में समय-समय पर इक्का-दुक्का शिकायतें प्राप्त होती हैं और इन्हें उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (एसएलए) को अग्रेषित किया जाता है।

(ङ) और (च): ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 7 के अंतर्गत ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी (डीसीसी) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) को उक्त अधिनियम को लागू करने में पूरे भारत में एकरूपता लाये जाने से संबंधित किसी भी मामले पर सलाह देने वाली सलाहकार समिति है।

डीसीसी ने दिनांक 20.12.2024 को आयोजित अपनी 65वीं बैठक में प्रीगैबलिन के दुरुपयोग और निर्माण तथा ओषधि नियम, 1945 की अनुसूची एच1 में इसे शामिल करने से संबंधित मामले पर विचार-विमर्श किया ताकि इस बात की निगरानी की जा सके कि केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) के पर्चे पर ही दवाओं की बिक्री की जाए ।

*****